



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239896
CG-DL-E-27102022-239896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4823]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4823]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5041(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30-06-2022" को "वार्ता भारती कन्नड़ समाचार पत्र" और "डेक्कन हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्क्वीजीशन अफसर नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चित्रदुर्गा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चित्रदुर्गा				
	गांव का नाम: मल्लपुरा				
1	103	निजी(ड्रै)	ड्राई	0.2626	के देवराज एँस/ओ जयराम रेड्डी, के शिवराम रेड्डी एँस/ओ जयराम रेड्डी, अनसूयम्मा डबल्यू/ओ के.जयराम रेड्डी, के.जे.नागराज एँस/ओ जयराम रेड्डी, के चंद्रहस रेड्डी एँस/ओ के जयराम रेड्डी (103)
2	105	निजी(ड्रै)	ड्राई	0.0303	अनुसूयम्मा डबल्यू/ओ जयराम रेड्डी, के देवराज एँस/ओ जयराम रेड्डी, के.जे. नागराज एँस/ओ जयराम रेड्डी (105/1)
3	105	निजी(ड्रै)	ड्राई	0.0404	लीलावती डबल्यू/ओ एँल्चन्ने गौडा (105/3)
4	K.NO. 82/233/B	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रीकल्चर	0.003015	पलव्या एँस/ओ सुरव्या (82/233/बी)
	गांव का नाम: पिल्लेकरानाहोली				
5	42/3B, K.No.195/344	निजी(नान्-एग्रिकल्चर)	नॉन एग्रीकल्चर	0.03862	एँम्पैमराजेश एँस/ओ माधव राव (सी.नो.42/3बी, के.नो.195/344)
6	K No. 25/F/277	निजी(सैट)	सैट	0.005574	वेंकटेश एँस/ओ होम्बले हनुमप्पा (के.नो. 25/एँफ़/277)
7	K.No. 25/C1/277	निजी(सैट)	सैट	0.005574	भीमन्ना एँस/ओ होम्बले हनुमप्पा (के.नो. 25/सी1/277)

8	K.No. 25/D/277	निजी(सैट)	सैट	0.005574	रंगप्पा ऍस/ओ होम्बले हनुमप्पा (के.नो.25/डी/277)
			कुल	0.3917	

[फा. सं. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2022

S.O. 5041(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH50 on the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition Officer National Highways Authority of India Hospet) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vartha Bharathi-Kannada Newspaper” and “Deccan Herald-English Newspaper” both dated 30th June, 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH50 in the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition Officer National Highways Authority of India Hospet) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chitradurga				
	Village: Mallapura				
1	103	Private(Dry)	Dry	0.2626	K DEVARAJ S/O JAYARAMA REDDY, K SHIVARAMA REDDY S/O JAYARAMA REDDY,

					ANASUYAMMA W/O K.JAYARAMA REDDY, K.J.NAGARAJ S/O JAYARAMA REDDY, K CHANDRAHASA REDDY S/O K JAYARAMA REDDY 103
2	105	Private(Dry)	Dry	0.0303	Anusuyamma W/o Jayarama Reddy, K Devaraj S/o Jayarama Reddy, K.J. Nagaraja S/o Jayarama Reddy 105/1
3	105	Private(Dry)	Dry	0.0404	Leelavathi W/o L Channe Gowda 105/3
4	K.NO. 82/233/B	Private(Non- Agriculture)	Non- Agriculture	0.003015	Palayya S/o Surayya 82/233/B
Village: Pillekeranahalli					
5	42/3B, K.No.195/344	Private(Non- Agriculture)	Non- Agriculture	0.03862	M M Rajesh S/o Madhav Rao Sy.No.42/3B, K.No.195/344
6	K No. 25/F/277	Private(Site)	Site	0.005574	Venkatesh S/o Hombale Hanumappa K.No. 25/F/277
7	K.No. 25/C1/277	Private(Site)	Site	0.005574	Bheemanna S/o Hombale Hanumappa K.No. 25/C1/277
8	K.No. 25/D/277	Private(Site)	Site	0.005574	Rangappa S/o Hombale Hanumappa K.No.25/D/277
			TOTAL	0.391657	

[F. No. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3D]

RAJESH GUPTA, Director